

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 05 JUN 2025

आदेश

विषय: Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भ: वित्त (नियम) विभाग का आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 01.03.2023, 04.04.2023, 30.01.2024 एवं 10.02.2025

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेशों के क्रम में आर.जी.एच.एस के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरो के दिनांक 30.09.2021 तक के चिकित्सा पुनर्भरण दावे RGHS portal पर प्रस्तुत करने की अवधि अंतिम अवसर के रूप में दिनांक 10.06.2025 तक पूर्वानुसार शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाई जाती है।

(देबाशीष पृष्टि)

प्रमुख शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
4. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टैंट हेल्थ एश्योरेंस एजेन्सी / परियोजना निदेशक, आरजीएचएस
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान को उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना हेतु।
12. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. प्रशासनिक सुधार विभाग(ग्रुप-6)
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
16. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

(एस.जेड. शाहिद)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR /6/2025)